an>

Title: Speaker made Valedictory Reference on the conclusion of fourth Session of the Sixteenth Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, सोलहवीं लोक सभा का चौथा सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस बजट सत्र के प्रथम भाग का प्रारंभ 23 फरवरी, 2015 को केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राÂट्रपति जी के अभिभाÂाण के साथ हुआ। सभा की बैठक 20 मार्च, 2015 को स्थगित हो गयी ताकि स्थायी समितियां, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों की जांच कर उन पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें। बजट सत्र का दूसरा भाग, मध्यावकाश के पश्चात् 20 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ हुआ। सत्र के दौरान 35 बैठकें हुई, जो 242 घंटे 54 मिनट चलीं। इनमें से 19 बैठकें सत्र के प्रथम चरण में और 16 बैठकें द्वितीय चरण में आयोजित की गई।

सदन ने राÂट्रपति के अभिभाÂाण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जिसकी एक प्रति 23 फरवरी, 2015 को सभा पटल पर रखी गयी। इसे 14 घंटे और 05 मिनट की चर्चा के पश्चात् 27 फरवरी, 2015 को पारित किया गया।

वÂाऩ 2015-16 के लिए रेल बजट और सामान्य बजट क्रमशः 26 और 28 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत किए गए। वÂाऩ 2015-16 के सरकारी संकल्प एवं रेल बजट पर संयुक्त रूप से चर्चा हुई। वÂाऩ 2015-16 की लेखानुदानों की मांगों (रेल) और वÂाऩ 2014-15 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर 13 घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली। मांगें स्वीकृत हुई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। वÂाऩ 2015-16 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर सत्र के दूसरे भाग में 21 अप्रैल, 2015 को चर्चा की गयी। यह चर्चा 4 घंटे 15 मिनट तक चली। प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा मांगें स्वीकृत हुई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सभा में वÂाऩ 2015-16 के बजट (सामान्य) पर भी संयुक्त चर्चा की गयी। वÂाऩ 2015-16 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) तथा वÂाऩ 2014-15 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर 13 घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली। मांगें स्वीकृत हुई और विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सत्र के दूसरे भाग में, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वÂाऩ 2015-16 के लिए अनुदानों की माँगों को पूर्ण रूप से स्वीकृत किए जाने से पूर्व उन पर 25 घंटे से अधिक समय चर्चा की गई। बाकी मंत्रालयों के संबंध में वÂाऩ 2015-16 के बजट (सामान्य) से संबंधित सभी अन्य शेÂा अनुदानों की मांगों को 29 अप्रैल 2015 को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सभा ने 30 अप्रैल, 2015 को वित्त विधेयक, 2015 पर भी चर्चा की। वित्त वÂाऩ 2015-16 के लिए संघ सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए इसे पारित करने से पूर्व इस पर लगभग 5 घंटे और 23 मिनट चर्चा हुई।

वर्तमान सत्र के दौरान 25 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल 24 विधेयक परित किए गए। परित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015, मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2015, कोयला खनन (विशेÂा उपबंध) विधेयक, 2015, बीमा विधि (संशोधन) विधेयक् 2015, माल और सेवा कर प्रारंभ करने से संबंधित संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2015, भारत और बांग्लादेश के बीच कतिपय राज्य क्षेत्रों के अर्जन और अंतरण को प्रभावी करने के लिए संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) कर अधिरोपण विधेयक, 2015, परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 और सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपे जाने से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

सत्र के दौरान 620 तारांकित प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें से 135 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 4.21 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। 7118 अतारांकित प्रश्नों के साथ शेÂा तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्न काल के पश्चात् और सभा के औपचारिक कार्य के समापन के पश्चात् शाम को देर तक बैठक कर अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 1036 मामले माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 412 मामले भी उठाए।

सत्र के दौरान विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों ने 68 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सत्र के दौरान ध्यानाकÂाऩ्ण के माध्यम से दो महत्वपूर्ण विÂायों को उठाया गया अर्थात् (एक) देश में हानिकारक कीटनाशकों विशेÂा रूप से इन्डोसल्फान के उपयोग और मानव जीवन पर उनके प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति और (दो) ज्योतिसर, कुरूक्षेत्र, हरियाणा में स्थित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्राचीन बरगद के पेड़ को रÂट्रीय धरोहर घोÂिात करने की आवश्यकता। ध्यानाकÂाऩ्ण के उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पÂटीकरणों के भी उत्तर दिए।

सभा में नियम 193 के अधीन देश में कृÂिा की स्थिति से संबंधित लोक महत्व के मामले पर 13 घंटे से अधिक समय चर्चा चली। संबंधित मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सरकारी कार्य के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए पांच वक्तव्यों सहित मंत्रियों द्वारा विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण विÂायों के बारे में 55 वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 2345 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

जहाँ तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का सम्बन्ध है, सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के 129 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। वरिÂठ नागरिक (जरारोग और डिमेंशिया देख-रेख का उपबंध) विधेयक, 2014 जिसका उद्देश्य डिमेंशिया रोग से ग्रस्त वरिÂठ नागरिकों की देख-रेख और जरारोग देख-रेख सुविधाओं का उपबंध करना था, जिस पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री भर्तृहरि महताब जी ने 12 दिसंबर, 2014 को प्रस्तुत किया था, को 13 मार्च, 2015 को चर्चा पूरी होने के पश्चात सभा की अनुमति से प्रभारी सदस्य द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया। एक अन्य विधेयक, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक द्वारा अनिवार्य मतदान का प्रावधान करना है, उस पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक पर आगे 24 अप्रैल, 2015 को चर्चा की गई, उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई।

जहाँ तक गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, युवाओं में तकनीकी कौशल विकास और "मेक इन इंडिया" का लक्ष्य हासिल करने संबंधी योजना के संबंध में श्री सी.आर. पाटिल द्वारा 19 दिसम्बर, 2014 को प्रस्तुत किए गए संकल्प पर 20 मार्च, 2015 को आगे चर्चा हुई और उसी दिन सभा की अनुमति से यह संकल्प वापस लिया गया। श्री निशिकान्त दुबे जी द्वारा 20 मार्च, 2015 और 8 मई, 2015 को कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तुरन्त कदम उठाने संबंधी प्रस्तुत किए गए एक अन्य संकल्प पर चर्चा अधूरी रही है।

इस सत्र में जबकि व्यवधानों और बाध्य स्थगनों के कारण हमने 7 घंटे और 04 मिनट से अधिक का समय गंवाया, लेकिन सभा 55 घंटे और 43 मिनट के लिए देर तक बैठी और अविलम्बनीय सरकारी कार्य को निपटाया गया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है।

मैं उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों का सभा के सुचारू कार्य संचालन में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य सचेतकों, माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी की

ओर से प्रेस और मीडिया के हमारे मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। सभा की कार्रवाई के संचालन से संबद्ध एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए मैं उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। माननीय सदस्यगण आप सभी का सहयोग के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। मंत्रिमंडल का भी धन्यवाद।

अब माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब "वंदेमातरम" की धुन बजाई जाएगी।

अनेक माननीय सदस्य : महोदया, आपका भी हम लोगों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।

-

-

18.23 hrs

NATIONAL SONG

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die.*

18.24 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.